



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र, 1948 (श०)

संख्या - 152 राँची, सोमवार,

30 मार्च, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

20 मार्च, 2026

संख्या:-06/लो०से०आ०-01-04/2025 का० 1789 --

विषय :- झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु कडऑफ तिथि के निर्धारण के संबंध में।

विभिन्न स्त्रोतों के माध्यम से झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान करने संबंधित कतिपय अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

2. उक्त अभ्यावेदनों में मुख्य रूप से यह उद्धृत किया गया है कि विगत 25 वर्षों में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के माध्यम से मात्र 08 (आठ) झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जिसके कारण अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है। इस प्रसंग में अभ्यावेदकों द्वारा झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानेवाली आगामी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में अधिकतम आयु सीमा की गणना के लिए संदर्भ तिथि **दिनांक-01.08.2018** रखने का अनुरोध किया गया है।

3. झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में अभ्यर्थियों की अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना के संबंध में The Jharkhand Combined Civil Services Examination (2nd amendment) Rules, 2023 में उम्र सीमा की गणना हेतु संशोधित प्रावधान निम्नवत है :-

(2) "A candidate should have completed a minimum age of 21 years and must not have attained the age of 35 years on the 1st day (First day) of the month of August in the year of the publication of advertisement of the examination under these rules."

4. अंकनीय है कि वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 की रिक्तियों को सम्मिलित करते हुए झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2023 के निमित्त वर्ष 2024 में (विज्ञापन सं0-01/2024) झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रकाशित किया गया था। जिसके परीक्षाफल का प्रकाशन अंतिम रूप से वर्ष 2025 में करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की गयी है। फलतः वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 में उद्भूत रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा संदर्भित वर्षों में आहूत नहीं की जा सकी है।

5. विदित हो कि झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 की रिक्तियों को सम्मिलित किया गया है। झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु विभिन्न सेवा/संवर्गों के अन्तर्गत कुल 103 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति एवं 45 रिक्त पदों पर बैकलॉग नियुक्ति हेतु अध्यायना झारखण्ड लोक सेवा आयोग को उपलब्ध करायी गयी है। उक्त के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी नियुक्ति) प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 हेतु विज्ञापन सं0-01/2026 प्रकाशित किया गया है। साथ ही झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (बैकलॉग) प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 के आयोजन हेतु विज्ञापन प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

6. उल्लेखनीय है कि झारखण्ड संयुक्त असैनिक सेवा (सीधी भर्ती) प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 (विज्ञापन सं0-01/2026) में ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि दिनांक-20.02.2026 को दृष्टिपथ में रखते हुए विभागीय संलेख जापांक1068 दिनांक-20.02.2026 द्वारा संलेख प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड का अनुमोदन प्राप्त करते हुए सीधी नियुक्ति एवं बैकलॉग नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक-01.08.2022 एवं दिनांक- 01.08.2026 कट-ऑफ तिथि रखे जाने, जो कि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए मात्र झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 के लिए ही मान्य होगा, से संदर्भित संकल्प सं0-1093 दिनांक-21.02.2026 निर्गत किया गया है।

7. सीधी नियुक्ति एवं बैकलॉग नियुक्ति हेतु झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम आयु सीमा की गणना हेतु क्रमशः दिनांक-01.08.2022 एवं दिनांक- 01.08.2026 कट-ऑफ तिथि रखे जाने, जो कि सभी कोटि के अभ्यर्थियों के लिए मात्र झारखण्ड संयुक्त असैनिक प्रतियोगिता परीक्षा, 2025 के लिए ही मान्य होगा, के प्रस्ताव पर विभागीय संलेख संख्या-06/लो०से०आ०-01-04/2025 का०-1480 दिनांक-11.03.2026 के द्वारा मंत्रिपरिषद की दिनांक-12.03.2026 की बैठक में मद संख्या-27 के रूप में घटनोत्तर स्वीकृति प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
